भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1382
जिसका उत्तर गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**विधिक अनुसंधान और न्यायिक प्रशासन में एआई**

**1382 श्री एस. निरंजन रेड्डी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका या संबंधित संस्थाओं ने विधिक अनुसंधान, मामलों के वर्गीकरण (केस ट्राइएज), अनुलेखन या न्यायिक निर्णय समर्थन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) साधनों को अपनाया है या उनका परीक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे साधनों, उनके डेवलपर्स और उन्हें किस स्तर पर लगाया गया है या प्रयोग किया जा रहा है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंबित कार्य में कमी, दक्षता या न्याय तक पहुँच के संदर्भ में कोई मापन योग्य परिणाम प्राप्त किए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन साधनों के उपयोग को न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में बढ़ावा देने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ख) :** भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मामला प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और यंत्र विद्वता (एमएल) आधारित उपकरणों को तैनात किया जा रहा है। इन उपकरणों का उपयोग सांविधानिक पीठ के मामलों में मौखिक दलीलों के प्रतिलेखन में किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सहायता प्राप्त प्रतिलेखित दलीलों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से देखा जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ निकट समन्वय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरणों का भी उपयोग, अंग्रेजी भाषा से 18 भारतीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मलयाली, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू में निर्णयों के अनुवाद में

कर रहा है। निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी मद्रास के साथ निकट समन्वय में, त्रुटियों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरण विकसित और तैनात किए हैं। हाल ही में, प्रोटोटाइप तक 200 अभिलेख अधिवक्ताओं को पहुंच अनुदत्त की गई है। भारत का उच्चतम न्यायालय आईआईटी मद्रास के सहयोग से त्रुटियों के निवारण, डेटा और मेटाडेटा निष्कर्षण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता उपकरणों के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण कर रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और मामला प्रबंधन सॉफ्टवेयर, अर्थात् एकीकृत मामला प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत करने के लिए परिकल्पित किया गया है। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय लेने की प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र विद्वता आधारित उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय पोर्टल (एसयूपीएसीई), जिसका उद्देश्य मामलों की पहचान के अलावा पूर्व निर्णयों की बुद्धिमानी से खोज करके मामलों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने हेतु एक मॉड्यूल विकसित करना है, विकास के प्रायोगिक चरण में है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (यूनिटों) और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जैसी अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी-आधारित यूनिटों के उपापन और तैनाती के पश्चात् एसयूपीएसीई को तैनात किया जा सकता है।

**(ग) से (घ) :** न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादियों का सहयोग शामिल है।

तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान किया गया डाटा उपदर्शित करता है कि प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप न्याय की दक्षता और सुगमता में वृद्धि हुई है। आज की स्थिति के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा के माध्यम से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.73 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की गई है। पणधारियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 1773 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) प्रचालनीय हैं। 30.06.2025 तक जिला न्यायालयों में लगभग 308 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के मामले के सिवाय, देश भर के सभी जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग नियम लागू किए गए हैं। देश भर के वकीलों/वादियों के पास कई भाषाओं में मामलों की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि से संबंधित सूचना तक ऑनलाइन पहुंच है। वकीलों/वादियों के लिए ई-कोर्ट्स मोबाइल ऐप और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप को क्रमशः 3.16 करोड़ और 21,716 से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। देश भर के न्यायालयों के मुकदमों, निर्णयों/आदेशों आदि की सूचना राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर ऑनलाइन उपलब्ध है। देश

भर के  न्यायालयों के कामकाज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का चरण-3  कार्यान्वयनाधीन है, जिसका बजटीय परिव्यय 7,210 करोड़ रुपये है, जिसे मार्च 2027 तक समाप्त होने वाली 4 वर्षों की अवधि में खर्च किया जाना  है।

*****